| रीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 05.2 6 | पत्रावली पेश हुई।<br>प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित।<br>तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट प्राप्त।<br>प्रार्थी अधिवक्ता को सुनाा गया।<br>प्रार्थी अधिवक्ता की दलील है की प्रार्थी व विप्रार्थी पार्टी संख्या 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 217 रकबा 8.7372 हैक्टेयर ग्राम बेरानाडी तहसील सिवाना में अवस्थित है। जिसका प्रार्थी विप्रार्थी पार्टी संख्या 2 के मध्य मौखिक रूप से बंटवाडा हो चुका है प्रार्थी का मौखिक बंटवाडा अनुसार विवादित भूमि के पूर्वी माठ से जुडता हिस्सा पर कब्जा काश्त है। विवादित भूमि के पुराने खसरा संख्या 611 रकबा 8.5630 हैक्टेयर के बदिशा उत्तर व दक्षिण में रास्ते चालू हालत मेंथ तथा उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड के नक्शे में विद्यमान है। सर्वे रिसर्वे के दौरान राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थी के नवीन खसरा संख्या 217 का रकबा बढते हुए प्रार्थी के हिस्से की भूमि के बदिशा उतर में सडक से जुडती भूमि का कॉर्नर काट दिया तथा उतर में चालू रास्ते को हटा दिया है। प्रार्थी द्वारा नये सर्जित खसरा संख्या 217 की सीमा में सुधार कर पुराने खसरा संख्या 611 के नक्शे अनुसार खसरा संख्या 217 को संशोधित किये जाने हेतु आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।<br>प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थी के पुराने खसरा संख्या 611 से सर्वे रिसर्वे के पश्चात नवीन खसरा संख्या 217 सर्जित हुआ जिसका का ROR 8.5630 हैक्टेयर OCM 8.4964 हैक्टेयर व NCM 8.7372 हैक्टेयर है रकबे में 2.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई है विवादित भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी पार्टी संख्या 2 की संयुक्त खातेदारी की है विवादित भूमि पर प्रार्थी व विप्रार्थी पार्टी संख्या 2 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। खसरा संख्या 217 के उतरी भाग में ग्राम सरियादेवी नगर की सीमा है तथा पश्चिमी भाग में खसरा संख्या 221 स्थित है जिसका पुराना खसरा संख्या 613 था | |

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Scanned with OKEN Scanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर अहकाम की तामील हुए |
| --- | --- | --- |
| | खसरा संख्या 221 का ROR 6.5964 हैक्टेयर OCM 6.6214 हैक्टेयर व खसरा संख्या 221 व 218 का NCM 6.8045 हैक्टेयर है खसरा संख्या 218 प्रार्थी के खसरा संख्या 217 से पार्सल बनाया गया है मौके पर उक्त खसरा पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। प्रार्थी के खसरा संख्या 217 का NCM उसके ROR और OCM से अधिक है। प्रार्थी के वर्तमान नक्शे में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होना प्रतीत होती है।<br>लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौक रिपोर्ट के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।<br>पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>आदेश आज दिनांक 27.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>सिवाना (बालोतरा) | |

सेवामें,

Scanned with OKEN Scanner